

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023—माघ 14, शक 1944

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2023

#### शुद्धि-पत्र

क्र. 2008-50-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 38, दिनांक 30 जनवरी 2023 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं :—

#### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं
(1)	(2)	(3)
(1) राजेश यादव, अपर सचिव	पृष्ठ 75 पंक्ति 6	राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.